बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 /कृ0, पटना, दिनांक–25-07-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 420.05 लाख (चार करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रूपये {(केन्द्रांश मद 252.03 लाख रूपये (60%) एवं राज्यांश 168.02 लाख रूपये (40%))} की निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 420.05 लाख (चार करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रूपये {(केन्द्रांश मद 252.03 लाख रूपये (60%) एवं राज्यांश 168.02 लाख रूपये (40%))} की निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के अंतर्गत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017 तक के लिए Tentative Allocation 252.03 लाख रूपये किया गया है। तत्काल भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं है। राशि विमुक्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है। केन्द्रांश प्राप्ति पश्चात समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटन निर्गत किया जायेगा।

3. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से कृषि सूचना प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करने तथा भारत सरकार द्वारा संचालित एम० किसान पोर्टल, किसान पोर्टल अंतर्गत किसानों को ऑन–लाईन 23 विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

4. National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना का कार्यान्वयन से कृषि, उद्यान तथा मत्स्य निदेशालय से संबंधित कार्यालयों के लिए कृषि सूचना तंत्र के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, प्रमण्डल स्तर पर कृषि सूचना प्रसार तंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि किया जाना है।

5. वर्ष 2017–18 में राज्य, जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाये जायेंगें :–

क्र०सं०	अवयव का नाम
1	द्वितीय चरण में शेष 195 प्रखण्डों में कम्प्यूटर तथा उपस्करों का क्रय
2	राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण कोषांग
3	सभी स्तर पर इंटरनेट की व्यवस्था
4	सभी स्तर पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था

संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

6. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अधीन National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना के कार्यान्वयन 534 प्रखण्ड, 38 जिलें, 8 प्रमण्डल, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर किया जाना है।

7. इस परियोजना में कृषि, उद्यान तथा मत्स्य निदेशालय के प्रखण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं उपस्कर उपलब्ध कराना है।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 / कृ0, पटना, दिनांक–25-07-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 420.05 लाख (चार करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रूपये {(केन्द्रांश मद 252.03 लाख रूपये (60%) एवं राज्यांश 168.02 लाख रूपये (40%))} की निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 420.05 लाख (चार करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रूपये {(केन्द्रांश मद 252.03 लाख रूपये (60%) एवं राज्यांश 168.02 लाख रूपये (40%))} की निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के अंतर्गत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017 तक के लिए Tentative Allocation 252.03 लाख रूपये किया गया है। तत्काल भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं है। राशि विमुक्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है। केन्द्रांश प्राप्ति पश्चात समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटन निर्गत किया जायेगा।

3. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से कृषि सूचना प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करने तथा भारत सरकार द्वारा संचालित एम० किसान पोर्टल, किसान पोर्टल अंतर्गत किसानों को ऑन–लाईन 23 विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

4. National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना का कार्यान्वयन से कृषि, उद्यान तथा मत्स्य निदेशालय से संबंधित कार्यालयों के लिए कृषि सूचना तंत्र के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, प्रमण्डल स्तर पर कृषि सूचना प्रसार तंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि किया जाना है।

5. वर्ष 2017–18 में राज्य, जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाये जायेंगें :–

क्र०सं०	अवयव का नाम
1	द्वितीय चरण में शेष 195 प्रखण्डों में कम्प्यूटर तथा उपस्करों का क्रय
2	राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण कोषांग
3	सभी स्तर पर इंटरनेट की व्यवस्था
4	सभी स्तर पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था

संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

6. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अधीन National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना के कार्यान्वयन 534 प्रखण्ड, 38 जिलें, 8 प्रमण्डल, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर किया जाना है।

7. इस परियोजना में कृषि, उद्यान तथा मत्स्य निदेशालय के प्रखण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं उपस्कर उपलब्ध कराना है।

8. आठ प्रमण्डलों में कृषि सूचना तंत्र प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण इकाई की स्थापना की जानी है।

9. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन किया जायेगा।

10. केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के पश्चात समानुपातिक राज्यांश सहित कृषि निदेशक द्वारा संबंधित कोषागार के माध्यम से BTC फार्म 46 में निकासी किया जायेगा एवं बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के PL Account 278 नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में स्थानन्तरित किया जायेगा।

11. योजना अंतर्गत आच्छादित सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त नियमावली के अधीन किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

12. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 001–निदेशन तथा प्रशासन,मांग संख्या–01,उपशीर्ष–0214–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि, विपत्र कोड 01–2401000010214, पी०एफ०एम०एस० कोड–9423, विषय शीर्ष 0214.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन	302.61	209.19
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0240–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि ,विपत्र कोड 01–2401007890240, पी०एफ०एम०एस० कोड–9423, विषय शीर्ष 0240.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	58.33	40.32
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0262–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि, विपत्रकोड 01–2401007960262, पी०एफ०एम०एस० कोड–9423, विषय शीर्ष 0262.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन	3.65	2.52
कुल	**364.59**	**252.03**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0314–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि, विपत्र कोड 01–2401000010314, पी०एफ०एम०एस० कोड–9423 विषय शीर्ष 0314.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन	201.74	139.46
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0340–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि, विपत्र कोड 01–2401007890340 पी०एफ०एम०एस० कोड–9423, विषय शीर्ष 0340.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	38.89	26.88
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0362–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान कृषि, विपत्रकोड 01–2401007960362, पी०एफ०एम०एस० कोड–9423, विषय शीर्ष 0362.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन	2.43	1.68
कुल	**243.06**	**168.02**
सकल योग	**607.65**	**420.05**

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–60 / 2016 के पृ0सं0– 33 / टि० पर दिनांक– 20.09.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09 - 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09 - 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09 - 2017

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–60 / 2016 3805 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09 - 2017

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / उप निदेशक (शष्य), सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।